संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 1571 भोपाल, दिनांक 09.09.2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.

विषय– कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बाह्य रोगी विभाग में फीवर क्लीनिक के संचालन के सम्बंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ–1. संचालनालय का पत्र क. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 406 दिनांक 16.05.2020
2. संचालनालय का पत्र क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 779 दिनांक 06.06.2020

––00––

वैश्विक महामारी के परिदृष्य में कोविड–19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की संख्या में निरतंर वृद्धि हो रही है। वर्तमान स्थिति में 75459 कुल व्यक्ति संक्रमित पाये गये है तथा 16961 एक्टिव मरीज़ है। 56909 ठीक होकर डिस्चार्ज किये गये है। कुल केस पिछले 30 दिनों में दुगने हुए है। अनुमानित है कि प्रदेश में वर्तमान वृद्धि दर को देखते हुए 31 अक्टूबर तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2.6 लाख तथा एक्टिव मरीज 55000 होना संभावित है।

वर्तमान में सक्रिय 832 फीवर क्लीनिक में केवल 31 प्रतिशत कोविड–19 सैम्पल कलेक्शन होता है। अतः प्रदेश की वर्तमान रणनीति के अनुसार फीवर क्लीनिक को सक्रिय किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा संस्थागत क्वारेंटाइन को प्रोत्साहित किया जाना है। शहरी क्षेत्र में फीवर क्लीनिक जांच के मुख्य केन्द्र रहेगें, जहां रेपिड एंटीजन से जांच की जा सकेगी तथा RT-PCR हेतु सैम्पल कलेक्ट किये जायेगे। प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरिज की ओ.पी.डी. में सर्दी, खाँसी, गले में दर्द, बुखार व साँस की तकलीफ (ILI/SARI) के मरीजों के लिये पृथक से फीवर क्लीनिक के संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में निम्न दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए:–

1. फीवर क्लीनिक सप्ताह मे सभी सात दिन प्रातः काल 8 बजे से सांय काल 8 बजे तक संचालित की जानी है ।
2. प्रत्येक जिले मे, जिले की जनसंख्या, फीवर क्लीनिक मे आने वाले मरीज व पॉजिटिव केसेस के आधार पर फीवर क्लीनिक की संख्या मे वृद्धि की जा सकती है । संचालीत फीवर क्लीनिक की जानकारी एन.एच.एम तथा विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जानी होगी तथा सार्थक पोर्टल पर अनिवार्य प्रदर्शित की जायेगी ।
3. फीवर क्लीनिक में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाये। रैपिड एन्टीजन टेस्ट तथा आर.टी.पी.सी.आर. हेतु सैम्पल लिये जाने की सुविधा सुनिश्चित की जाये।
4. फीवर क्लीनिक के माध्यम से ILI व SARI के लक्षण वाले मरीजों की त्वरित पहचान कर कोविड–19 टेस्ट हेतु रेपिड एंटीजन टेस्टिंग किट से जांच करने उपरांत, रिस्क स्ट्रेटीफिकेशन मेट्रिक्स के आधार पर उपचार हेतु चिकित्सक द्वारा होम आइसोलशन पात्रतानुसार (क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2020 / 1377 भोपाल दिनांक 13.08.2020) होम आइसोलेशन अथवा चिन्हित सी.सी.सी. / डी.सी.एच.सी. / डी.सी.एच. में रेफर किया होगा।

निरंतर...

5. डायबिटीज, हायपरटेंशन, हृदय एवं किडनी सम्बंधित बीमारी अथवा अन्य असंचारी रोग से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओ तथा लक्षण युक्त मरीजों के कोविड–19 टेस्ट के परिणाम शीघ्र प्राप्त किये जाने हेतु रेपिड एंटीजन टेस्टिंग किट से जांच कर समुचित उपचार हेतु सलाह देना ।
6. फीवर क्लीनिक के माध्यम से कोविड–19 पॉजिटिव मरीज के संपर्क मे आए व्यक्तियों की रेपिड एंटीजन टेस्टिंग किट से जांच कर उपचार हेतु सलाह दिया जाना है ।
7. बाह्य रोगी विभाग में एक ही प्रवेश व निकाय द्वार होने की स्थिति में प्रवेश एवं बाहर जाने के लिये बेरिकेडिंग की जाए।
8. Waiting Area में रोगियों के बीच Physical Distancing सुनिश्चित करने हेतु चाक या चूने से मीटर मार्किंग की जाए।
9. प्रत्येक फीवर क्लीनिक में सेम्पल कलेक्शन हेतु विन्डो/बूथ/वॉल आवश्यक रूप से होना चाहिए।
10. मरीज के साथ आवश्यक होने पर ही परिजन को क्लीनिक में प्रवेश करने दिया जाये।
11. वेटिंग एरिया में रोगियों व उनके परिजनों हेतु हाथ धोने के लिये पानी, साबुन व पेपर टॉवेल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
12. फीवर क्लीनिकमे निम्नलिखित आवश्यक उपकरण, दवा व सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए ।

उपकरण	दवायें	सामग्री
नॉन टच इंफ्रारेड थर्ममीटर	राज्य शासन व भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक दवाये	पी.पी.ई. किट
पल्स ऑक्सीमीटर		N–95 मास्क
बी.पी. इंस्ट्रयुमेंट		थ्री–प्लाय मास्क
स्टेथेस्कोप		ग्ल्स
ग्लुकोमीटर		
वजन नापने की मशीन		
ग्लुकोमीटर	फीवर क्लीनिक में उपस्थित समस्त स्टाफ हेतु हायड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की 400 mg व 200 mg की गोलियाँ (प्रति व्यक्ति हायड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की 400 mg की 9 गोलियों के अनुसार डोज गणना की जाये)	शू कवर
वजन नापने की मशीन		फेस शिल्ड
		70% अल्कोहल बेस्ड हेंड सेनेटाइजर
		लिक्विड सोप
		पेपर नेपकिन
		रेपिड एंटीजन टेस्टिंग किट

निरंतर.....

13. प्रत्येक उपकरण को उपयोग के पूर्व व पश्चात 1% सोडियम हायपोक्लॉराइट के घोल से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
14. पल्स ऑक्सीमीटर के उपयोग के पूर्व मरीज की ऊंगली को हेंड सेनेटाईजर विसंक्रमित किया जाना चाहिए अथवा साबुन एवं पानी से धोना चाहिए।
15. चिकित्सा अधिकारी द्वारा नॉन टच इंफ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर का सही तरीके से उपयोग करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
16. मानव संसाधन – फीवर क्लीनिकपर निम्नलिखित स्टाफ को नियुक्त किया जाना चाहिए।

क्र	पदनाम	कार्यस्थल	कार्य का प्रकार
1	चिकित्सा अधिकारी	चिकित्सक कक्ष	• फीवर क्लीनिक में आने वाले रोगियों की जांच एवं उपचार व प्रबंधन करना। • कोविड–19 संदिग्ध रोगियों की रेपिड एंटीजन किट से टेस्टिंग करना।
2	फार्मसिस्ट	दवा वितरण कक्ष	• रोगियों को दवा वितरित करना • चिकित्सक द्वारा प्रस्तावित उपचार से सम्बंधित दवाओं के सेवन के सम्बंध में जानकारी प्रदान करना
3	लेब टेक्निशियन	पेथोलॉजी लेब	• चिकित्सक को कोविड–19 संदिग्ध रोगी की रेपिड एंटीजन किट से टेस्टिंग मे सहायता करना एवं निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार सेम्पल की लेबलिंग, पेकिंग व कोल्डचेन में संधारित करते हुए निर्धारित लैब तक भेजने की व्यवस्था करना
4	स्टाफ नर्स/वार्ड बॉय	रजिस्ट्रेशन काऊंटर	• रजिस्ट्रेशन काऊंटर पर आने वाले रोगियों को टोकन नम्बर प्रदाय करना व उनसे सम्बंधित समस्त जानकारी को निर्धारित प्रारूप में संधारित करना • फीवर क्लीनिक में आने वाले रोगियों को कोविड–19 से बचाव के संबंध में जानकारी प्रदान करना • फीवर क्लीनिकमें आने वाले रोगियों के द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हायजिन एवंहाथों की सफाई रखने हेतु समझाईश देना

			• जिन फीवर क्लीनिक में लेब टेक्निशियन उप्लब्ध नहीं है वहाँ चिकित्सक को कोविड–19 के संदिग्ध रोगी के सेम्पल लेने में सहायता प्रदान करना एवं निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार सेम्पल की लेबलिंग, पेकिंग व कोल्ड चेन को संधारित करते हुए सेंट्रल लेब तक भेजने की व्यवस्था करना
5	सफाई कर्मचारी	फीवर क्लीनिकपरिसर	• रजिस्ट्रेशन काउंटर, चिकित्सक कक्ष (फीवर क्लिनिक) व दवा वितरण केंद्र जहाँ भी रोगीयो का आवागमन हो वहाँ 1% सोडियम हाइपोक्लोराईट के घोल से आठ घंटे के अंतराल में सफाई करना • रजिस्ट्रेशन काऊंटर व वेटिंग एरिया में रोगियों की कतार फिजिकल डिस्टेंसिंग के अनुसार बनवाना. • फीवर क्लीनिक परिसर में रोगी व उनके परिजन द्वारा मास्क, रूमाल, गमछे का उपयोग कराना सुनिश्चित करना • फीवर क्लीनिक परिसर में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का निस्तारण Bio Medical Waste Management Guideline 2016 (यथा संशोधन) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करे.

17. पी.पी.ई किट के रेशनल उपयोग हेतु निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए

क्र.	स्टाफ केटेगरी	कार्य स्थल	पी.पी.ई. सामग्री
1	वार्ड बॉय	रजिस्ट्रेशन काउंटर	• थ्री प्लाय मास्क • फेस शिल्ड • लेट्क्स ग्ल्वस
2	चिकित्सा अधिकारी	चिकित्सक कक्ष (फीवर क्लिनिक)	• पी.पी.ई. किट • N–95 मास्क • लेटेक्स ग्लव्स • गोगल्स • शू कवर.

3	फार्मसिस्ट	दवा वितरण केंद्र	• थ्री प्लाय मास्क • लेटेक्स ग्लव्स हिकि • गोगल्स
4	सफाई कर्मचारी	रजिस्ट्रेशन काउंटर, चिकित्सक कक्ष (फीवर क्लिनिक) व दवा वितरण केंद्र	• थ्री प्लाय मास्क • लेटेक्स ग्लव्स • गोगल्स • शू कवर
5	लेब टेक्निशियन	पेथॉलॉजी लेब	• पी.पी.ई. किट • N–95 मास्क • लेटेक्स ग्लव्स • गोगल्स • शू कवर.

17. फीवर क्लीनिकमें निम्न जानकारी संकलित की जाना चाहिए :–

- प्रत्येक मरीज की लाईन लिस्टींग एवं मरीजों से संबंधित विवरण संलग्न प्रपत्रों के अनुरुप एकत्र कर जिला नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाये।
- जिला नोडल अधिकारी के द्वारा mphealthresponse.nhm.gov.in पोर्टल में प्रतिदिन फार्म–9 मे जानकारी की एंट्री करना सुनिश्चित किया जाये साथ ही उक्त जानकारी ईमेल आईडी sarimpidsp@gmail.com पर भेजना भी सुनिश्चित किया जाये।
- फीवर क्लीनिक की जानकरी प्रतिदिन सार्थक एप में भी एंट्री करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए

वर्तमान रणनीति के अनुसार समुदाय की सहभागिता बढ़ाई जाना चाहिए। कोविड पॉजिटिव मरीज की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने First Contact की सूची जिला कोविड कमाण्ड तथा कन्ट्रोल सेन्टर/आर.आर.टी. को प्रदान करें। समस्त कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों की सक्रिय भागीदारी तथा स्वेच्छा से उपचार प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करें। फीवर क्लीनिक द्वारा चिन्हित लक्षण रहित तथा कम लक्षण वाले कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में व्यवस्था होने पर रखा जाए ऐसे मरीजों की निगरानी जिला कोविड कमाण्ड तथा कन्ट्रोल सेन्टर के प्रशिक्षित मेडिकल ऑफिसर द्वारा वीड़ियों कॉलिग से की जाए। रिफरल दिशानिर्देशानुसार मरीजों को लक्षण आने पर सी.सी.सी./डी.सी.एच.सी./डी. सी.एच. में भेजा जायेगा। रिफरल ट्रन्सफोर्ट हेतु सुविधा प्रदान की जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार फीवर क्लीनिक का संचालन सुनिश्चित किया जायें।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

निरंतर......

F:/AS/Letter

पृ. क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1572 भोपाल, दिनांक.09..09.2020

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
5. संचालक स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला सर्विलेंस अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी कोविड–19 कंट्रोल रूम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश,
10. उप संचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश,

08/09/2020

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

F:/AS/Letter

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्य प्रदेश

सतपूड़ा भवन

भोपाल, दिनांक 16/05/2020

क्र./आई.डी.एस.पी/2020/ 406

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.

विषय- कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बाहय रोगी विभाग में फीवर क्लिनिक के संचालन के सम्बंध में.

संदर्भ- 1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, भोपाल का पत्र क./आई.डी.एस.पी./2020/468 दिनांक 16/04/2020
2. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, भोपाल का पत्र क./कोविड-19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/548 दिनांक 25/04/2020

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिले के समस्त शास्कीय चिकित्सालयों **(जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक, सिविल डिस्पेन्सरी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(ग्रामीण व शहरी))** के बाह्य रोगी विभागों में सर्दी, खाँसी, गले में दर्द, बुखार व साँस की तकलीफ (ILI/SARI) के मरीजों के लिये पृथक रूप से फीवर क्लिनिक का संचालन किया जाना है. इस हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे-

- **इंफ्लुएंज़ा लाइक इलनेस/सिवियर अक्युट रेस्पिरेटरी इलनेस की परिभाषा ?**
  1. **इंफ्लुएंज़ा लाइक इलनेस-** भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार वे रोगी जिन्हें बुखार के साथ सर्दी, खांसी व गले में खराश की शिकायत हो वे इंफ्लुएंज़ा लाइक इलनेस की श्रेणी में आते है.
  2. **सिवियर अक्युट रेस्पिरेटरी इलनेस-** भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार वे रोगी जिसमे उपरोक्त लक्षणो के साथ निमोनिया के लक्षण उत्पन्न होते दिखे जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट- 15-30 ब्रेथ/मिनिट एवम SPO_2 90%-94% रूम एयर पर. ऐसे व्यक्ति सिवियर अक्युट रेस्पिरेटरी इलनेस की श्रेणी में आते है.

- **सम्भावित कोविड संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कैसे की जावे ?**
  1. ऐसे समस्त व्यक्ति जिनके द्वारा विगत 14 दिवस में अंतरराष्ट्रिय यात्रा की गई हो, या वह माइग्रेट्री लेबर हो या अन्य राज्य य ऐसे क्षेत्र जो कि शासन द्वारा रेड केटेगरी में चिन्हांकित किये हुए हो से यात्रा करे हुए छात्र या व्यक्ति हो.
  2. लेबोरेट्री जांच में कोविड पोज़िटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये व्यक्ति
  3. वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनहे सर्दी, खाँसी, गले में दर्द, बुखार व साँस की तकलीफ (ILI/SARI) हो रही हो तो.
  4. चिकित्सालय में भर्ती मरीज़ जिन्हे बुखार, खाँसी व साँस की तकलीफ हो रही हो तो

Scanned with CamScanner

5. कोविड पोज़िटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये पुष्ट या ऐसे व्यक्ति जिन्हे डायबिटीज़, उच्च रक्त्चाप, अन्य गम्भीर बिमारी या गर्भवति महिला हो.

❖ <u>सम्भावित कोविड संदिग्ध व्यक्ति की जांच हेतु क्या प्रक्रिया अपनानी है?</u>

1. यदि फीवर ओ.पी.डी में सम्भावित कोविड संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति हेतु जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच हेतु सेम्पल कलेक्शन, पैकिंग व ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा (भारत शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार) सुनिश्चित की जावे.
2. हेतु जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच हेतु सेम्पल कलेक्शन, पैकिंग व ट्रांस्पोर्टेशन की व्यवस्था में सलंग्न समस्त स्वास्थ्य कर्मियो द्वारा पी.पी.ई. किट पहना जाना सुनिश्चित करते हुए Universal Health Safety Precautions का पालन किया जाना अनिवार्य है.
3. यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सम्भावित कोविड संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति यदि एक से अधिक हो तो खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा आर.आर.टी/एम.एम.यू टीम के माध्यम से सेम्पल कलेक्शन किया जाना सुनिश्चित किया जाये
4. यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आर.आर.टी/एम.एम.यू टीम के माध्यम से सेम्पल कलेक्शन किया जाना सम्भव न हो तो ऐसी स्तिथि में सम्भावित कोविड संदिग्ध व्यक्ति के सेम्पल कलेक्शन हेतु आने जाने की व्यवस्था PHC Medical Officer द्वारा किया जाना सुनिश्चित की जाये.
5. सम्भावित कोविड संदिग्ध व्यक्ति को लाने ले जाने हेतु उपयोग में आने वाले वाहन के चालक द्वारा थ्री प्लाय मास्क, गल्व्स व गोग्ल्स का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे व प्रत्येक उपयोग के पश्चात सेनेटाइज़ेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे.

❖ <u>नॉन कोविड चिकित्सालय (फीवर क्लिनिक) हेतु किन निर्देशो का पालन किया जाना होगा ?</u>

1. उपरोक्त संदर्भित पत्रो के अनुसार जिला चिकित्सालय के बाहय रोगी विभाग में पृथक से सर्दी, खाँसी, गले में दर्द, बुखार व साँस की तकलीफ (ILI/SARI) के मरीजों हेतु पृथक रूप से फीवर क्लिनिक का संचालन किया जाना है.
2. सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक, सिविल डिस्पेन्सरी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(ग्रामीण व शहरी) के बाहय रोगी विभाग में पृथक से सर्दी, खाँसी, गले में दर्द, बुखार व साँस की तकलीफ (ILI/SARI) के मरीजों के लिये एक कमरा चिन्हित कर उक्त की जानकारी रजिस्ट्रेशन काऊँटर पर प्रदर्शित की जावे.
3. जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, संजीवनी क्लिनिक व सिविल डिस्पेन्सरी में मानव संसाधन व अधोसंरचना की कमी होने के कारण पृथक रूप से बाहय रोगी विभाग में कमरा चिन्हित किया जाना सम्भव नहीं हो ऐसी स्तिथि में बाहय रोगी विभाग में इस तरह व्यवस्था की जावे कि संक्रमण की संभावना न्यूनतम हो. इस तरह कि परिस्थिति में एक ही प्रवेश व निकाय द्वार होने के कारण भीतर आगमन व निर्गमन को बेरिकेटिंग कर पृथक किया जावे.
4. प्रत्येक फीवर क्लिनिक हेतु अलग से रजिस्ट्रेशन काऊँटर की स्थापना की जावे जहाँ पृथक से एक वार्ड बॉय की पद्स्थापना की जावे. जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की कमी होने के कारण पृथक से वार्ड बॉय की पद्स्थाप्ना किया जाना सम्भव नहीं है वहॉ पर फीवर क्लिनिक में आने वाले रोगियों को दवाई की खाली पर्ची चिकित्सक द्वारा ही प्रदाय की जावेगी व सलंग्न निर्धारित प्रारूप में जानकारी का संधारण कर दैनिक रूप से रिपोर्ट प्रदाय की जावेगी.

Scanned with CamScanner

5. चिकित्सालय में पदस्थ समस्त स्टॉफ से रोगियों की दूरी हेतु कम से कम 1 मीटर के दायरे में बेरिकेटिंग की जावे व Public Announcement System/माईक का उपयोग किया जावे.
6. Waiting Area में रोगियों के बीच Physical Distancing सुनिश्चित करने हेतु चाक या चुने से मीटर मार्किंग सुनिश्चित करें. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगियों हेतु Waiting Area बनाने हेतु पांडाल का उपयोग करें ताकि धूप से बचाव किया जा सके.
7. रजिस्ट्रेशन काऊँटर पर पदस्थ स्टाफ द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि वे से सर्दी, खॉसी, गले में दर्द बुखार व सॉस की तकलीफ के मरीजों व कोविड पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आये रोगियों या भ्रमण इतिहास वाले रोगियों को फीवर ओ.पी.डी. में भेजें.

❖ **फीवर क्लिनिक में कार्यरत चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा Personal Protection हेतु किन बातो का ध्यान रखना है**

1. चिकित्सालय में Medical Officer द्वार यह सुनिश्चित किया जाना है कि निम्नलिखित तालिका के अनुसार समस्त स्टाफ द्वारा Personal Protection Equipments का इस्तेमाल किया जावे-

क्र.	स्टाफ केटेगरी	कार्य स्थल	कार्य का प्रकार	पहने जाने वाली PPE
1.	वार्ड बॉय	रजिस्ट्रेशन काउंटर	रोगियो को जानकारी प्रदाय करना	• थ्री प्लाय मास्क • फेस शिल्ड • लेट्क्स ग्ल्व्स
2.	चिकित्सक	चिकित्सक कक्ष (फीवर क्लिनिक)	फीवर क्लिनिक में आने वाले रोगियो की जांच करना	• N-95 मास्क • लेटेक्स ग्लव्स • गोगल्स.
3.	फार्मसिस्ट	दवा वितरण केंद्र	फीवर क्लिनिक में आने वाले रोगियो को दवा वितरण करना	• थ्री प्लाय मास्क • लेटेक्स ग्लव्स • गोगल्स
4.	सफाई कर्मचारी	रजिस्ट्रेशन काउंटर, चिकित्सक कक्ष (फीवर क्लिनिक) व दवा वितरण केंद्र	संस्था में उक्त समस्त जगहो जहॉं पर रोगियो का अवागमन हो	• थ्री प्लाय मास्क • लेटेक्स ग्लव्स • गोगल्स • शू कवर

'यदि चिकित्सक को ज़रुरत लगे तो वे फेस शिल्ड का उपयोग भी कर सकते है.

2. **उपयोग के पश्चात Medical Officer द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि स्टाफ द्वारा उपयोग में लिये गये समस्त Personal Protection Equipment का डिस्पोज़ल भारत शासन द्वारा जारी Infection Prevention and Control हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार Bio Medical Waste Management के मापदंडों के अनुसार ही किया जाये.**
3. प्रत्येक रोगी के परीक्षण उपरांत व अगले रोगी का परीक्षण करने से पहले हाथ, स्टेथेस्कोप व पल्स ओक्सीमीटर व उपयोग में लिये जा रहे अन्य उपकरण को सेनेटाइज़ करना सुनिश्चित करें. इसके अतिरिक्त पल्स ओक्सिमीटर के उपयोग के पहले व पश्चात मरीज़ की उंगली को भी सेनेटाइज़ करना सुनिश्चित करे.
4. समस्त रोगियों व रोगियों के साथ आये परिजनों (आवश्यक्ता अनुसार एक परिजन) को मास्क, रूमाल, गमछा/ दुपट्टा आदि से मुँह व नाक ढंकने हेतु निर्देशित किया जाये.

Scanned with CamScanner

5. अस्पताल परिसर, चिकित्सक कक्ष तथा अन्य समस्त स्थल जहाँ रोगियों का आवागमन होता हो को प्रत्येक 8 घंटे के अंतराल में 1% सोडियम हायपॉक्लोराईड के घोल से सेनेटाइज़ किया जाना सुनिश्चित करें.
6. सेम्पल कलेक्शन हेतु जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लेब टेक्निशियन व स्टाफ नर्स को RT-PCR App व SRF फोर्म भरने हेतु एक दिवस निश्चित कर जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाये. जहाँ तक सम्भव हो यह प्रशिक्षण ज़ूम या वेबिनार के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये.

❖ **<u>कोविड संदिग्ध व्यक्ति यदि पोज़िटिव पाया जाता है तो ऐसे स्तिथि में क्या प्रक्रिया अपनानी है?</u>**

1. यदि फीवर ऑ.पी.डी में कोविड संदिग्ध व्यक्ति, पोज़िटिव पाया जाता है तो ऐसी स्तिथी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार चिकित्सक द्वारा परीक्षण उपरांत लक्षणो के आधार पर होम आइसोलेश्न, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर अथवा कोविड केयर होस्पिटल में भर्ती कर उचित उपचार प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करे व त्वरित रूप से मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी को सुचित करे.(सलंग्न रेफेरल प्रोटोकोल के समबंध में दिशा निर्देश)

❖ **<u>यदि चिकित्सालय में पदस्थ किसी स्वास्थ्य कर्मी में कोविड से समब्न्धित लक्षण मिले तो क्या प्रक्रिया अपनानी है?</u>**

1. यदि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी में कोविड से समवंधित कोइ भी लक्षण मिलते है तो चिकित्सक द्वारा तुरंत ही स्वास्थ्य कर्मी की जांच कर लक्षणों के आधार पर उपचार हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार निर्णय लेना सुनिश्चित किया जावे.
2. त्वरित रूप से मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी को सुचित करते हुए स्वास्थ्य कर्मी की जांच करवाना सुनिश्चित करते हुए जब तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक निर्धारित मार्ग्दर्शिका के अनुसार क्वारन्टाईन किया जाना सुनिश्चित करना है.

(फ़ैज़ अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण ,मंत्रालय
भोपाल, मध्य प्रदेश

क्र./आई.डी.एस.पी/2020/ 407

भोपाल, दिनांक 16 /05/2020

प्रतिलिपी-

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थय सेवाये, मध्य प्रदेश, भोपाल
2. समस्त सम्भाग आयुक्त, मध्य प्रदेश
3. समस्त सम्भागीय सन्युक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश
4. उप संचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थय सेवाये, मध्य प्रदेश, भोपाल

16/5
प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण ,मंत्रालय
भोपाल, मध्य प्रदेश

Scanned with CamScanner

Referral Mechanism for COVID 19 Patients based on Symptoms

Covid Care Centres/Home Isolation-

- COVID-19 suspect or
- COVID-19 positive patients with Uncomplicated Illness or
- COVID-19 positive patients with uncomplicated upper respiratory tract viral infection, may have non-specific symptoms such as fever, cough, sore throat, nasal congestion, malaise, headache.

Dedicated Covid Healthcare Centre-

- Patient with pneumonia and no signs of severe pneumonia
- Child with non-severe pneumonia has cough or difficulty in breathing/ fast breathing and no signs of severe pneumonia

  fast breathing - in breaths/min can be defined as :
  - age <2 months- ≥60 breaths/min
  - age 2–11 months- ≥50 breaths/min
  - age 1– 5 years - ≥40 breaths/min

Dedicated COVID Hospitals

- **Severe pneumonia-**
  - Adolescent or adult with fever or suspected respiratory infection, plus one of the following-
    i. respiratory rate >30 breaths/min, or
    ii. severe respiratory distress, SpO2 <90% on room air
  - Child with cough or difficulty in breathing, plus at least one of the following-
    i. central cyanosis or SpO2 <90%; or
    ii. severe respiratory distress (e.g. grunting, chest in- drawing);
    iii. signs of pneumonia with any of the following danger signs:
      - inability to breastfeed or drink, lethargy or unconsciousness, or
      - convulsions.
      - chest indrawing,
      - fast breathing (in breaths/min):
        - Age <2 months- ≥60 breaths/min;
        - Age 2–11 months ≥50 breaths/min;
        - Age 1–5 years ≥40 breaths/min.
- **Acute Respiratory Distress Syndrome**
  - Onset of new or worsening respiratory symptoms within one week of known clinical insult.
  - Chest imaging (radiograph, CT scan, or lung ultrasound) showing bilateral opacities, not fully explained by effusions, lobar or lung collapse, or nodules.
  - Origin of oedema due to respiratory failure not fully explained by cardiac failure or fluid overload. Need objective assessment (e.g. echocardiography) to exclude hydrostatic cause of oedema if no risk factor present.
  - Oxygenation Status (adults):
    i. Mild ARDS: 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg (with PEEP or CPAP ≥5 cm H2O, or non ventilated)
    ii. Moderate ARDS: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤200 mmHg with PEEP ≥5 cm H2O, or non-ventilated)

Scanned with CamScanner

iii. Severe ARDS: $PaO_2/FiO_2 \le 100$ mmHg with PEEP ≥ 5 cm H_2O, or non- ventilated)

iv. When PaO_2 is not available, $SpO_2/FiO_2 \le 315$ suggests ARDS (including in non- ventilated patients)

- Oxygenation (children; note OI = Oxygenation Index and OSI = Oxygenation Index using SpO_2)
  i. Bilevel NIV or CPAP ≥ 5 cm H_2O via full face mask: $PaO_2/FiO_2 \le 300$ mmHg or $SpO_2/FiO_2 \le 264$
  ii. Mild ARDS (invasively ventilated): $4 \le OI < 8$ or $5 \le OSI < 7.5$
  iii. Moderate ARDS (invasively ventilated): $8 \le OI < 16$ or $7.5 \le OSI < 12.3$
  iv. Severe ARDS (invasively ventilated): $OI \ge 16$ or $OSI \ge 12.3$

- <u>Sepsis</u>
  - **Adults**- life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to suspected or proven infection, with organ dysfunction.
    - Signs of organ dysfunction include:
      i. altered mental status,
      ii. difficult or fast breathing,
      iii. low oxygen saturation,
      iv. reduced urine output,
      v. fast heart rate, weak pulse, cold extremities or low blood pressure,
      vi. skin mottling, or laboratory evidence of coagulopathy, thrombocytopenia, acidosis, high lactate or hyperbilirubinemia.
  - **Children**- any hypotension (SBP <5th centile or >2 SD below normal for age) or 2- 3 of the following:
    - altered mental state
    - bradycardia or tachycardia (HR <90 bpm or >160 bpm in infants and HR <70 bpm or >150 bpm in children)
    - prolonged capillary refill (>2 sec) or warm vasodilation with bounding pulses; tachypnoea
    - mottled skin or petechial or purpuric rash;
    - increased lactate
    - oliguria
    - hyperthermia or hypothermia

Scanned with CamScanner

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्य प्रदेश

क्र./आई.डी.एस.पी/2020/ 779 भोपाल, दिनांक 06/06/2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.

विषय- कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बाह्य रोगी विभाग में फीवर क्लिनिक के संचालन के सम्बंध में.

संदर्भ- 1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, भोपाल का पत्र क./आई.डी.एस.पी./2020/406 दिनांक 16/05/2020

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदेश के समस्त शास्कीय चिकित्सालयो **(जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक, सिविल डिस्पेन्सरी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(ग्रामीण व शहरी))** में कोविड-19 के प्रकरणों को दृष्टिगत रखते के बाह्य रोगी विभागों में सर्दी, खाँसी, गले में दर्द, बुखार व साँस की तकलीफ (ILI/SARI) के मरीजों के लिये पृथक रूप से फीवर क्लिनिक का संचालन किया जाना है. इस हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु यह देखने में आया है कि इन क्लिनिक के संचालन में चिकित्सालयों द्वार अनेक विभ्रांति का सामना किया जा रहा है व स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा रोगियों से सम्बंधित जानकारियों का संकलन कर निर्धारित प्रारूप में राज्य को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है. अतः फीवर क्लिनिक के संचालन हेतु पुनः दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है.

1. फीवर क्लिनिक के माध्यम से ILI व SARI के लक्षण वाले मरीजो की त्वरित पहचान कर कोविड-19 टेस्ट हेतु सेम्पल लेना एवं उपचार हेतु चिह्नित सी.सी.सी अथवा डी.सी.एच.सी. में रेफर करना.

	ILI	SARI
लक्षण	• विगत 10 दिन में सर्दी, खांसी, गले में खराश के साथ बुखार (>38°C/100.4°F), SpO_2>94% एवं निम्नलिखित में से एक- ○ जिन्होंने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की हो. ○ जो प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि किये गये केस के सम्पर्क में आये हो. ○ स्वास्थ्य कार्यकर्ता/फ्रंट्लाइन कार्यकर्ता जो कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम में शामिल हुए हो.	विगत 7 दिवस में सर्दी, खांसी, गले में खराश के साथ बुखार (>38°C//100.4°F) व सांस लेने में तकलीफ (SpO_2 < 90%)

	○ व्यक्ति जो हॉट्स्पॉट/कंटेन्मेंट ज़ोन के निवासी हो ○ प्रवासी मज़दूर/श्रमिक ○ उच्च जोखिम वाले व्यक्ति (डायबिटीज़, हायपरटेंशन, ह्दिय सम्बंधित बीमारी, किडनी सम्बंधित बीमारी या अन्य असंचारी रोग से ग्रसित) जो संक्रमित व्यक्ति के सीधे सम्पर्क में आये हो.	
प्रक्रिया	• सम्पर्क से पांचवे एवं दसवें दिन के भीतर जांच का सेम्पल लिया जाये. • प्रवासी मज़दूर/श्रमिक के जांच का सेम्पल लक्षण उत्पत्ति के 7 दिवस के भीतर लिया जाये. • यदि लक्षणों के आधार पर मरीज़ को भर्ती करने की आवश्यकता लगे तो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में निर्धारित वाहन से रेफर किया जाना चहिये.	• प्राथमिक उपचार दिये जाने के उपरांत, निर्धारित वाहन से चिह्नित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रेफर किया जाना है.

2. डायबिटीज़, हायपरटेंशन, ह्दिय सम्बंधित बीमारी, किडनी सम्बंधित बीमारी या अन्य असंचारी रोग से ग्रसित व्यक्तियों के कोविड-19 टेस्ट हेतु सेम्पल लेना समुचित उपचार हेतु सलाह देना.

- बाह्य रोगी विभाग में एक ही प्रवेश व निकाय द्वार होने की स्थिति में प्रवेश एवं बाहर जाने के लिये बेरिकेटिंग की जाये.
- Waiting Area में रोगियों के बीच Physical Distancing सुनिश्चित करने हेतु चॉक या चुने से मीटर पार्किंग की जाये.
- मरीज के साथ आवश्यक होने पर ही परिजन को क्लिनिक में प्रवेश करने दिया जाये.
- वेटिंग एरिया में रोगियों व उनके परिजनों हेतु हाथ धोने के लिये पानी, साबुन व पेपर टॉवेल की उपलब्धता हो.
- आवश्यक उपकरण, दवा व सामग्री-

<u>उपकरण</u>	<u>दवाये</u>	<u>सामग्री</u>
नॉन टच इंफ्रारेड थर्ममीटर	राज्य शासन व भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक दवाये	पी.पी.ई. किट
पल्स ऑक्सीमीटर		N-95 मास्क
बी.पी. इंस्ट्रयुमेंट		थ्री-प्लाय मास्क
स्टेथेस्कोप		ग्ल्व्स
ग्लुकोमीटर	फीवर क्लिनिक में उपस्थित समस्त स्टाफ हेतु हायड्रॉक्सी	शू कवर
		फेस शिल्ड

	क्लोरोक्वीन की 400 mg व 200 mg की गोलियाँ (प्रति व्यक्ति हायड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की 400 mg की 9 गोलियों के अनुसार डोज़ गणना की जाये)	70% अल्कोहल बेस्ड हैंड सेनेटाइज़र
		लिक्विड सोप
		पेपर नेपकिन

- वे उपकरण जो मरीज़ के सम्पर्क में आते हो, उनको उपयोग के पूर्व व पश्चात 1% सोडियम हायपोक्लॉराइट के घोल से विसंक्रमित किया जाना चहिये
- पल्स ऑक्सीमीटर के उपयोग के पूर्व मरीज की ऊंगली को हेंड सेनेटाईज़र से विसंक्रमित किया जाना चहिये अथवा साबून एवं पानी से धोना चहिये.
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा नॉन-टच इंफ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर का सही तरीके से उपयोग करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये.

(फैज़ अहमद किदवई)
स्वास्थ्य आयुक्त सह वि.क.अधि
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
भोपाल, मध्य प्रदेश

क्र./आई.डी.एस.पी/2020/ 780

भोपाल, दिनांक 06/06/2020

प्रतिलिपी-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश
3. समस्त सम्भागीय सन्युक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश
4. प्रभारी कोविड-19 कंट्रोल रूम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश, भोपाल
4. उप संचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश, भोपाल

6/6/20
स्वास्थय आयुक्त सह वि.क.अधि
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
भोपाल, मध्य प्रदेश

Fever Clinic- Checklist						
Name of Institute		**District**				
Facility Incharge		**Contact Number**				
S. No.	**Characteristic**	**Availability**		**Number**	**Remarks**
		Yes	**No**		
1	**Site Layout**				
1.1	External Access				
1.2	Separate Room				
1.3	Separate Entry and Exit				
1.4	If 1.3 is No, Barricading done				
2	**Patient Management**				
2.1	Availability of Reception/Help Desk				
2.2	Waiting Number/Token Number System				
2.3	Availability of Public Announcement System				
3	**Social Distancing**				
3.1	Screen Placed Between the Receptionist and the Patient				
3.2	Waiting area with physical distancing of 1 meter apart				
3.3	Separate Triage Area Identified				
4	**Mandatory Equipment**				
4.1	Non-Touch Infrared Thermometer				
4.2	Pulse Oxymeter				
4.3	Stethescope				
4.4	BP Monitoring Instrument/Sphygmomanometer				
4.5	Glucometer				
5	**Drugs**				
5.1	Analgesics				
5.2	Antibiotics				
5.3	Hydroxy Chloroquine				
5.4	Cough Syrup				
5.5	Antihistaminics				
5.6	Multivitamin				
5.7	Inhaler/Bronchodilators				
6	**Consumables**				
6.1	3 Ply Mask				
6.2	N-95 Mask				
6.3	PPE Kit				
6.4	Gloves				
6.5	Goggles				
6.6	Face Shield				
7	**Measures Specific to COVID-19**				
7.1	70% Alcohol Based Hand Sanitizer				
7.2	Running Water				
7.3	Soap				
7.4	Paper Towels				
7.5	Closed Dustbin				
7.6	BMW Rules according to 2016 followed				
7.7	1% Sodium Hypochlorite Solution				
8	**Laboratory Items**				
8.1	VTM Kits				
8.2	Availability of Logistic required for packing and transporatation of Sample				
8.3	Rapid Test Kit for Malaria and Dengue				
9	**Human Resource**				
9.1	Treatin g Physician/ Medical Officer				
9.2	Staff Nurse/Ward Boy				
9.3	Pharmacist				
9.4	Lab Technician				
9.5	Cleaning Staff				

Technique to Use Infrared Thermometer

- **Preparing the Environment and NCIT**
  - Use in a draft-free space and out of direct sun or near radiant heat sources
  - Determine if conditions are optimal for use. Typically, the environmental temperature should be between 60.8-104 °F (16-40 °C) and relative humidity below 85 percent.
  - Place the NCIT in the testing environment or room for 10-30 minutes prior to use to allow the NCIT to adjust to the environment
- **Preparing the Person being Evaluated**
  - The test area of the forehead is clean, dry and not blocked during measurement.
  - The person's body temperature or temperature at the forehead test area has not been increased or decreased by wearing excessive clothing or head covers (for example headbands, bandanas), or by using facial cleansing products (for example cosmetic wipes).

० जो प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट किय

Technique to Use Infrared Thermometer

- Using the NCIT:
  - Hold the NCIT sensing area *perpendicular* to the forehead and instruct the person to remain stationary during measurement(s).
  - Do not touch the sensing area of the NCIT and keep the sensor clean and dry
  - The distance between the NCIT and forehead is specific should be close enough so that the sensor can read the temperature

○ जो प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट किय

Technique to Use Pulse Oximeter

- <u>**Putting on the probe**</u>
  - The probe should be put on the patient correctly to ensure the oximeter works correctly
  - The finger fits well and the probe is not too tight (which would constrict the circulation) or too loose (may fall off or let other light in).

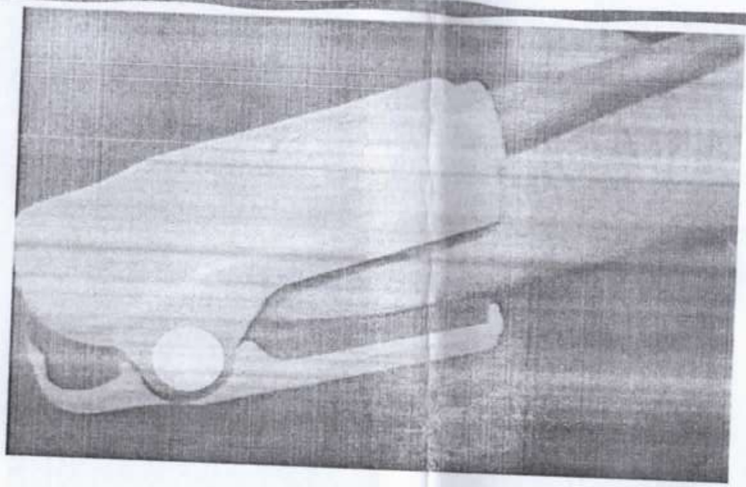

○ जो प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट किय

Technique to Use Pulse Oxymeter

- **What can prevent a pulse oximeter reading accurately?**
  - Nail varnish or pigment on finger
  - Bright light on the probe
  - Patient movement
  - Poor perfusion
  - Carbon monoxide poisoning
- **Is the probe working?**
  - Put the probe on your own finger and check it is working!